



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273053
CG-DL-E-01062026-273053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 377]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

सा.का.नि. 418(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) तीसरा संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 में, स्पष्टीकरण को उसके (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण -2.- शंकाओं को दूर करने के लिए, आयातकों को भारत में प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक टियर-2 और टियर-3 प्रमाणित प्रचालकों को बंधित भांडागार में अनिवार्य घोषणाएं करने की अनुज्ञा दी जाएगी:

परन्तु कि प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक टियर-2 और टियर-3 प्रमाणित प्रचालकों के बंधित भांडागार को छोड़ने से पूर्व फुटकर पैकेज में इन नियमों के अधीन सभी अनिवार्य घोषणाएं विनिर्दिष्ट होंगी।

टिप्पण: प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक टियर 2 और प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक टियर 3, प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक हैं जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अनुपालन आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने के लिए प्रशासित हैं।”।

3. मूल नियमों के, नियम 27 में,—

(i) उपनियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(घ) अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशक का नाम।”;

(ii) उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“परन्तु कि कंपनी या फर्म किन्हीं भी विशिष्टियों में परिवर्तन के साथ अपने ब्यौरो को वार्षिक रूप से अद्यतन करेगी, जिसके लिए पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित, पैक या आयात किए जाने वाले उत्पादों को उनकी संख्या के साथ, पते और मूल देश के साथ वार्षिक रूप से अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।”;

(iii) उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने तक विधिमान्य रहेंगे।”।

[फा. सं. I-19/50/2022- डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202 (अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 312 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

G.S.R. 418(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Third Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, Explanation shall be numbered as (1) thereof and after Explanation-1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation-2.— For the removal of doubts, the importers shall be allowed to make mandatory declarations at bonded warehouses of Authorised Economic Operators Tier-2 and Tier-3 certified operators in India:

Provided that the retail packages shall have all mandatory declarations specified under these rules before leaving the bonded warehouses of Authorised Economic Operators Tier-2 and Tier-3 certified operators.

Note: Authorised Economic Operators Tier 2 and Authorised Economic Operators Tier 3 are the Authorised Economic Operators administered by the Central Board of Indirect Taxes and Customs to speed up customs clearance for compliant importers and exporters.”.

3. In the principal rules, in rule 27,—

(i) in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

“(d) the name of the Director of the company responsible for violations under the Act and rules made thereunder.”;

(ii) to sub-rule(3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the company or firm shall update annually its details with change in any particulars for which an option on the online portal shall be made available to update annually with address, products with their number to be manufactured, packed or imported during the previous year and country of origin.”;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) The registration certificates shall remain valid until cancelled.”.

[F. No. I-19/50/2022-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 312(E), dated 27th April, 2026.